न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 55/24

GCMS NO 2024/125

1. ज्वाला प्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मकनपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली
2. राधेश्याम
3. शिवदयाल पुत्रान रमेश चंद
4. रामदुलारी पत्नि स्व0रमेश चंद जातियान ब्राहम्ण निवासीयान मकनपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र इन्दर
2. कैलाश पुत्र इन्दर
3. शिवदत्त पुत्र इन्दर जातियान ब्राहम्ण निवासीयान मकनपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली
4. चिरोजी पुत्री इन्दर पत्नि नरोत्तम जाति ब्राहम्ण निवासी मकनपुर हाल निवासी मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली
5. दुलारी पुत्री इन्दर पत्नि बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी मकनपुर हाल निवासी घटली तहसील मण्डरायल जिला करौली
6. माया पुत्री हरप्रसाद पत्नि केदार जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली
7. राधाबाई पुत्री हरप्रसाद पत्नि गीताप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी जगहरपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
8. सीतादेवी पुत्री हरप्रसाद पत्नि ऊकार जाति ब्राहम्ण निंवासी दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली
9. जगदीश पुत्र हरप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली
10. दुर्गा प्रसाद
11. मोहन
12. शिम्भूदयाल पुत्रान स्व0रमेश चंद जातियान ब्राहम्ण निवासीयान मकनपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 15/24 निर्णय दिनांक 21.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामसहाय पराशर,अब्दुल लतीफ

दिनांक 17.7.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/सायल न0 1 ता 9 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 32 ग्राम मकनपुर तहसील मण्डरायल मे से दिनांक 30.7.78 को 2 बीघा भूमि का आवंटन सायल संख्या 1 ता 5 के पिता व सायल संख्या 6 ता 9 के नाना इन्दर पुत्र बहादुर जाति ब्राहम्ण निवासी मकनपुर तहसील मण्डरालय को आवंटित हुई थी। उसी समय भूमि का मिन न0 32/203/1 कायम किया गया । उक्त भूमि पर सायल संख्या 1 ता 5 का पिता व 6 ता 9 का नाना अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त बतौर खातेदार काश्तकार रहा था और इन्दर के मरने के बाद सायल संख्या 1 ता 5 व सायल 6 ता 9 की मॉ सुरस्वती पुत्री इन्दर काबिज काश्त बतौर खातेदार है। सुरस्वती पुत्री इन्दर का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान सायल संख्या 6 ता 9 है। आराजी का सम्वत 2062 से 2065 की जमाबंदी कम्प्यूटराईड बनाते समय ख0न0 32/203/1 के स्थान पर ख0न0 32/203/2 कायम किया गया और किस्म बारारी सौयम के स्थान पर बारानी 3 दर्ज कर दी गई और इसके बाद उक्त आराजी का ख0न0 32/203/2 के स्थान पर 207/32 दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी है राजस्व कर्मियो पटवारी हल्का व गिरदावर व गैर सायल संख्या 8 ने बिना ने बिना सायलान को सुने गलत तौर पर दर्ज कर दिया और नक्शा सीट व ऑनलाईन किस्ट्रलसीट मे तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सीट व आनलाईन किस्ट्रलशीट मे तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गलत तौर पर सायलान व पिता व नाना सायलान को सुने सायलान के पिता व नाना व सायलान के कब्जे के विपरीत कर दी। जिसकी जानकारी सायलान को नकल जमाबंदी व नक्शे की लेने पर हुई। सायलान के पुत्र द्वारा ख0न0 32/207 व 207/32 एवं 32/203 का नकल आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार भू अ0 द्वारा नकल प्रार्थना पत्र की पुश्त पर नोट अंकित किया गया कि चाही गई तरमीम आदेश रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है तथा तरमीम आदेश रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है और सायलान को तरमीम नही होने की कहा व सायलान ने दिनांक 14.6.24 को उक्त नकल आवेदन की नकल प्राप्त की। जब सायलान को उक्त आराजी की गलत तरमीम बिना किसी आदेश के होने की जानकारी व ज्ञान हुआ तब सायलान ने उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त कराने की गैरसायलान संख्या 1 ता 8 से कहा तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ। सायलान आराजी ख0न0 32/203/1 पर आवंटन दिनांक से आज तक काबिज काश्त है एवं बतौर खातेदार है। पूर्व सायलान के साथ सायलान पिता एवं नाना इन्दर आंवटी काबिज काश्त बतौर खातेदार अपने जीवन काल तक रहा है। गैरसायल संख्या 1 व गैर सायलान संख्या 2 ता 7 के पिता व पति जिसकी मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है के हक मे राजस्व कर्मियो से साज कर गैरसायल संख्या 1 ता 7 ने [illegible] तौर पर ख0न0 32 मे से 7 बीघा भूमि ग्राम मकनपुर का दिनांक 27.12.[illegible] ख0न0 32/203/1 के स्थान पर ख0न0 32/203/2 व इसके बा[illegible] 207/32 [illegible] कर्मियो व गैरसायल संख्या 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

से मिलकर गलत दर्ज करा दिये और भूमि की किस्म बारानी सोयम के स्थान पर गैर मुमकिन पहाड दर्ज कर करने के बाद नक्शा सीट व ऑनलाईन किस्ट्रशीट मे गलत तरमीम सायलान के कब्जे की भूमि के अन्दर कराली है जबकि सायलान अपने पिता व नाना इन्दर को आवंटित भूमि पर दिनांक 30.7.78 से इन्दर के जीवनकाल से आज तक काबिज काश्त बतौर खातेदार है। गैरसायल संख्या 1 ता 7 का 32/203 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है ना ही कभी रहा है। गैरसायल न0 1 व गैरसायल 2 ता 6 के मृतक पिता के हक मे दिनांक 27.12.2001 को किया गया नियमन धोखा पूर्ण फर्जी है। जिसमे गैरसायलान न0 1 ने व गैरसायलान न0 2 ता 6 ने अपने पिता की मृत्यु दिनांक 27.12.2001 से पूर्व हो जाने के तथ्य को मृतक पिता रमेश चंद के हक मे गलत नियमन कराया गया है जो हक हकूक सायलान पर बेअसर प्रभावहीन है। सायलान पर बाध्यकारी नही है। सायलान दिनांक 30.7.78 को निरस्त कराने एवं सायलान ख0न0 207/32 के स्थान पर ख0न0 32/203/1 एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड के स्थान पर बारानी सोयम यानि बारानी 3 दुरूस्त कराने एवं सायलान इसी अनुसार रजास्व रिकार्ड जमाबंदी न नक्शा शीट व ऑनलाईन किस्ट्रलशीट मे दुरूस्ती कराकर राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने का अधिकारी है। गैरसायल संख्या 1 ता 8 आपस मे साज किये हुए है और गैरसायल संख्या 1 ता 7 ताकत के बल पर सायलान को सायलान के पिता व नाना इन्दर को आंवटित भूमि ख0न0 32/203/1 से अपने हक मे हुए अनाधिकार नियमन व अवैध गलत तरमीम के सवव ताकत के बल पर बेदखल करने एवं सायलान के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ख0न0 32/203/1 ग्राम मकनपुर तहसील मण्डरायल मे सायलान के कब्जे काश्त मे दखल नही करे एवं मौके पर भूमि से सायलान को जबरन बेदखल नही करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान संख्या 1, 4,6 व 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल व विधि के प्रावधान के रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया आरबेट्रेटरी व परिवरिश रेस्पो0 मनमाना है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है [illegible] रिकार्ड का भी विवेचन नही किया है और मनमाने तौर पर जैर अपील निर्णय पारित किया है [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 ने अपने प्रार्थना पत्र [illegible] के संबंध मे ही अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जबकि अधिनस्थ [illegible] सायलान अपीलांट व रेस्पो0 संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

10 ता 13 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 32/207 की यथास्थिति मौका एवं राजस्व रिकार्ड की बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा विधि विरूद्ध रूप से जारी की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 10 ता 13 आराजी ख0न0 32/203 के खातेदार काश्तकार है और अपने खातेदारी भूमि पर काबिज है रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 भूमि ख0न0 32/203 के खातेदार नही है ना ही काबिज है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो की अनदेखी कर जैर अपील निर्णय पारित किया है । जबकि ख0न0 32/203/1 की तरमीम आवंटन दिनांक 30.7.78 को ही वक्त आवंटन की जाकर आवंटी पिता रेस्पो0 न0 1 ता 9 को कब्जा दिया गया है यह तरमीम अपीलांट न0 1 व अपीलांट न0 2 ता 4 व रेस्पो0 संख्या 10 ता 12 के पिता रमेश चंद के हक मे किये गये आवंटन नियमन दिनाक 23.12.2001 से पूर्व ही हो चुकी थी जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत सायलान रेस्पो0से साबित है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 के मध्य तरमीम का विवाद होने का तथ्य गलत तौर पर दर्ज किया है और जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 10 ता 12 द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 128 एल आर एक्ट मे दिनांक 10.7.24 को पत्थरगढी सीमाकंन ख0न0 32/203 रकबा 7 बीघा ग्राम मकनपुर का किये जाने के आदेश दिये गये है उक्त प्रकरण मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 मे से रेस्पो0 न0 1 ता 3 पक्षकार रहे है जिन्होने प्रार्थना पत्र धारा 128 एल आर एक्ट मे ख0न0 32/203 को अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 10 ता 12 की खातेदारी की होना स्वीकार किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 32 ग्राम मकनपुर तहसील मण्डरायल मे से दिनांक 30.7.78 को 2 बीघा भूमि का आवंटन इन्दर पुत्र बहादुर जाति ब्राहम्ण निवासी मकनपुर तहसील मण्डरालय को आवंटित हुई थी। उसी समय भूमि का मिन न0 32/203/1 कायम किया गया । उक्त भूमि पर रेस्पो/सायल संख्या 1 ता 5 का पिता व 6 ता 9 का नाना अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त बतौर खातेदार काश्तकार रहा था और इन्दर के मरने के बाद रेस्पो0 सायल संख्या 1 ता 5 व सायल 6 ता 9 की मॉ सुरस्वती पुत्री इन्दर काबिज काश्त बतौर खातेदार है। सुरस्वती पुत्री इन्दर का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान रेस्पो/सायल संख्या 6 ता 9 है। आराजी का सम्वत 2062 से 2065 की जमाबंदी कम्प्यूटराईड बनाते समय ख0न0 32/203/1 के स्थान पर ख0न0 32/203/2 कायम किया गया और किस्म बारानी [illegible] दर्ज कर दी गई और इसके बाद उक्त आराजी का ख0न0 32/203/2 [illegible] दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी है राजस्व कर्मियो पटवारी [illegible] संख्या 8 ने बिना ने बिना सायलान को सुने गलत तौर पर दर्ज कर दिया और [illegible] सीट व ऑनलाईन किस्ट्रलसीट मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सीट व आनलाईन किस्ट्रलशीट मे तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गलत तौर पर रेस्पो/सायलान व पिता व नाना को सुने` कब्जे के विपरीत कर दी। जिसकी जानकारी रेस्पो/सायलान को नकल जमाबंदी व नक्शे की लेने पर हुई। रेस्पो/सायलान के पुत्र द्वारा ख0न0 32/207 व 207/32 एवं 32/203 का नकल आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार भू अ0 द्वारा नकल प्रार्थना पत्र की पुश्त पर नोट अंकित किया गया कि चाही गई तरमीम आदेश रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है तथा तरमीम आदेश रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है और रेस्पो/सायलान को तरमीम नही होने की कहा व रेस्पो/सायलान ने दिनांक 14.6.24 को उक्त नकल आवेदन की नकल प्राप्त की। जब रेस्पो/सायलान को उक्त आराजी की गलत तरमीम बिना किसी आदेश के होने की जानकारी व ज्ञान हुआ तब रेस्पो/सायलान ने उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त कराने की अपीलांट/गैरसायलान संख्या 1 ता 8 से कहा तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया। उक्त गलत तरमीम की आड मे अपीलांटगण विवादित भूमि से सायलान/रेस्पो0 को बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। तरमीम को दुरूस्त कराने हेतु वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि गलत तरमीम की आड मे अपीलांटगण रेस्पो/सायलान को भूमि से बेदखल कर देते है तो रेस्पो/सायलान को अपूर्णनीय क्षति होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता नही हो इस कारण ही विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये है। तरमीम गलत हुई है या नही ? इसका निर्धारण दावे मे तय हो सकेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से विधिवत रूप से पाबन्द किया गया है। जिससे पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता नही हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पो/सायल के अधिवक्ता का कथन रहा कि भूमि ख0न0 32 ग्राम मकनपुर तहसील मण्डरायल मे से दिनांक 30.7.78 को 2 बीघा भूमि का आवंटन इन्दर पुत्र बहादुर जाति ब्राहम्ण को हुआ था। आवंटन के वक्त उक्त भूमि का मिन न0 32/203/1 कायम हुआ । सम्वत 2062 से 2065 की जमाबंदी बनाते समय ख0न0 32/203/1 का नवीन न0 32/203/2 कायम किया जाकर नक्शा शीट व ऑनलाईन किस्ट्रलशीट मे गलत रूप से तरमीम की जाकर भूमि की किस्म बदलते हुए कब्जे के विपरीत तरमीम किये जाने के कारण विवादित आराजीयात से अपीलांटगण/गैरसायलान द्वारा रेस्पो/सायलान को मौके से बेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। उक्त गलत तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है क्योकि उक्त तरमीम आदेश की नकल सायलान/रेस्पो0 द्वारा लिये जाने हेतु तहसीलदार के यहाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तो तहसील कार्यालय द्वारा ऐसी कोई तरमीम नही होने बाबत प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी अंकित की गई है। इसके जबाब मे अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि तरमीम कब्जे के अनुसार एवं भूमि की किस्म के अनुसार सही की गई है। विवादित आराजीयात पर सायलान/रेस्पो0 का कब्जा नही है कब्जा अपीलांट/गैरसायलान का है। तरमीम के दुरूस्ती का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमे यह तय होगा कि तरमीम सही हुई है या गलत ? विवादित आराजीयात की तरमीम के संबंध मे पत्रावली मे किसी प्रकार का कोई आदेश संलग्न नही है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तरमीम किस दिनांक व किस आदेश के तहत की गई है। विवादित आराजीयात के बाबत पक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही हो। इसी के दृष्टिगत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ताफैसला दावा आराजी ख0न0 32/203/1 व 207/32, 32/203 एवं 32/203/2 ग्राम मकनपुर की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को विधिवत रूप से पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के प्रकरण संख्या 15/24 मे पारित निर्णय दिनांक 21.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner